"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 127] नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 फरवरी 2025 — फाल्गुन 2, शक 1946

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20 फरवरी 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–3/2025/वा.क.(आब.)/पांच(20). – छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 (क्रमांक 02 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (1) एवं उपधारा (2) के खण्ड (च), (छ), (ज) – द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य में सूक्ष्म यवासवनी के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ (Short Title, Extent and Commencement) :–

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ सूक्ष्म यवासवनी नियम, 2025 है।

(2) इन नियमों का विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा, परन्तु किसी भी स्थान के लिए जिस भी प्रकार की अनुमति/अनापत्ति की आवश्यकता हो उसे प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(3) ये नियम अधिसूचना जारी होने के दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ – (1) इन नियमों में जब तक की कोई बात विषय के विरुद्ध न हो,–

(क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है, समय–समय पर यथा–संशोधित छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915)।

(ख) **"आबकारी वर्ष"** से अभिप्रेत है, एक अप्रैल से प्रारंभ होकर कैलेण्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष।

(ग) **"बीयर"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 एवं उसके अधीन निर्मित नियमों में परिभाषित बीयर।

(घ) **"क्राफ्ट" बीयर**– से अभिप्रेत है, सूक्ष्म यवासवनी या सूक्ष्म यवासवनी के अनुज्ञप्त परिसर से संलग्न रेस्तरां में निर्मित उस बीयर से है जिसे उपयुक्त खाद्य सामग्री के साथ सुगंधित, लेकिन, चीनी या सिंथेटिक स्वादों को शामिल किए बिना पास्चुरीकृत किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है, और इसे पीपों, बोतल, डिब्बे या ग्रोलर में बेचा जा सकता है और इसमें अल्कोहल की स्ट्रेंथ 14 प्रूफ स्प्रिट या 8% v/v से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ङ) **"सूक्ष्म यवासवनी (Micro Brewery)"** से अभिप्रेत ऐसी यवासवनी से है, जिसकी दैनिक उत्पादन क्षमता अधिकतम 1000 लीटर की हो, जिसके अंतर्गत वह समस्त क्षेत्र सम्मिलित हो, जहॉ बीयर का निर्माण एवं संग्रहण किया जाता हो। यद्यपि

उक्त सूक्ष्म यवासवनी द्वारा नो एल्कोहालिक बेवरेजेस (एन.ए.बी.) का उत्पादन किया जा सकता है परन्तु यवासवनी की दैनिक उत्पादन क्षमता की गणना करते समय नो एल्कोहालिक बेवरेजेस के उत्पादन की मात्रा को उसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(च) **"रेस्टोरेन्ट सूक्ष्म यवासवनी (Restaurent Micro Brewery)"** से अभिप्रेत है, सूक्ष्म यवासवनी से लगा हुआ ऐसा स्थल जहाँ से सूक्ष्म यवासवनी से प्राप्त खुली बीयर उपभोग हेतु विक्रय किया जा सके।

(छ) **"विहित प्रारुप"** से अभिप्रेत है, इन नियमों के साथ संलग्न प्रारुप।

(ज) **"अनुज्ञापन प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है, आबकारी आयुक्त।

(झ) **"अनुज्ञप्तिधारी (Licensee)"** से अभिप्रेत है, ऐसा जो इन नियमों के अंतर्गत स्वीकृत अनुज्ञप्ति धारण करता हो।

(ञ) **"अनुज्ञप्त परिसर (Licensed Premises)"** से अभिप्रेत है, वह परिसर जिसके संबंध में इन नियमों के अंतर्गत कोई अनुज्ञप्ति जारी की गई हो।

(ट) **"अनुज्ञप्ति"** से अभिप्रेत है, इन नियमों के अंतर्गत स्वीकृत अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियां।

(ठ) **"कलेक्टर"** से अभिप्रेत है, जिले के राजस्व प्रशासन के प्रभार का मुख्य अधिकारी

(ड) **"आबकारी अधिकारी"** से अभिप्रेत छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत नियुक्त/परिभाषित आबकारी अधिकारी जो आबकारी उप निरीक्षक से कम श्रेणी का न हो।

(ढ) **"ताम्र पात्र"** (कापर) से अभिप्रेत ऐसे किसी पात्र से है, जिसमें बीयर बनाने के दौरान या तो अनाज के घोल (पर्ट) या पानी को उबाला या गरम किया जाता हो।

(ण) **"खमीर पात्र"** से अभिप्रेत किसी ऐसे पात्र से है, जिसमें अनाज के घोल में यीस्ट डालकर खमीर पैदा किया जाता हो।

(त) **"गुरुत्व"** से अभिप्रेत उस अनुपात से जो द्रव के भार और औसत जल की उतनी ही मात्रा के बीच हो, 600 फेरेनहाइट पर आसूत जल (Distilled water) गुरुत्व 1,000 माना गया है।

(थ) **"हाप"** से अभिप्रेत हाप पौधे के पके मादा फूलों या उसके अन्य भागों से है जिनका उपयोग बीयर बनाने के दौरान उसमें कडुआ स्वाद लाने और उसके परीक्षण तथा परिशोधन के लिए किया जाता हो।

(द) **"हाप बैंक"** से अभिप्रेत किसी भी ऐसे पात्र से है, जिसमें अनाज का घोल डाला जाता है, जिसमें कि प्रयुक्त फूलों को उबालने के बाद हटाया जा सके।

(ध) **"अंकुरित अनाज"** (माल्ट) से अभिप्रेत ऐसे मूलतः अंकुरित अनाज से है, जिसका उपयोग बीयर बनाने में किया जाता है और जिसे अनाज के श्वेतसार किण्वन

(ड्रायस्टेटिक फर्मेन्टेशन) के परिणामस्वरुप या उसे भिगाने (स्टेपिंग) तथा बिछाने (काउचिंग) की प्रक्रिया से प्राप्त किया जाता है।

(न) **"अंकुरित अनाज"** के "ऐवजी" से अभिप्रेत शक्कर या माड़ के मिश्रण से है जिसे उचित अनुपात में मिलाकर बीयर बनाने के प्रयोजनों के लिए अंकुरित अनाज के बदले उपयोग में लाया जाता है।

(प) **"मैशटन"** से अभिप्रेत किसी भी पात्र से है, जिसमें जौ या अनाज से बीयर बनाने के दौरान उसके किण्वन योग्य तत्व निःशेषित कर दिए जाते है।

(फ) **"भारसाधक अधिकारी"** से अभिप्रेत आबकारी उपनिरीक्षक या आबकारी विभाग के किसी ऐसे पदाधिकारी से है, जो आबकारी उपनिरीक्षक की पदश्रेणी से अनिम्न पदश्रेणी का न हो तथा जिसे जिले के कलेक्टर द्वारा सूक्ष्म यवासवनी प्रभारी नियुक्त किया गया हो।

(ब) **"अनाज का घोल"** से अभिप्रेत ऐसी शराब से है, जो बीयर बनाने की प्रक्रिया में जौ या अनाज के निःशेषण या शर्करायुक्त पदार्थो के घोल से प्राप्त की जाती है।

(भ) **"नो एल्कोहोलिक बेवरेजेस"** (एन.ए.बी.) से अभिप्रेत सूक्ष्म यवासवनी द्वारा निर्मित ऐसी बेवरेजेस से है, जिसमें एल्कोहल कनटेंट शून्य प्रतिशत (0%) है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किए गए परंतु परिभाषित न किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जैसा कि छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 में उन्हें समनुदेषित किया गया है।

3. सूक्ष्म यवासवनी की स्थापना :–

(1) लाइसेंस **के लिए आवेदन पत्र** –

(क) कोई भी व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ राज्य में सूक्ष्म यवासवनी स्थापित करना या चलाना चाहता हो, उसके लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कलेक्टर के माध्यम से आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ को आवेदन – प्रारुप एम.बी. – **"1"** में प्रस्तुत करेगा। आवेदक को आवेदन पत्र के साथ रूपये 10,000/– की प्रोसेस फीस उस माध्यम से जमा किया जाना अनिवार्य होगा जैसा कि आबकारी आयुक्त द्वारा विहित किया जावे।

(ख) आवेदन पत्र के साथ आवेदक उसके परिसर और उपयोग में लाए जाने वाले पात्रों का पूर्ण वर्णन (जिसे इसमें इसके पश्चात् नक्शा कहा गया है) को देगा और प्रत्येक कमरे तथा पात्र के प्रयोजनों और उन पर लगाए गए विभेदक चिन्हों का स्पष्टतः उल्लेख करेगा। नक्शा अनुरेखण कागज (Tracing Paper) पर स्केल से खींचा जाएगा। उसमें उपयोग में लाए जाने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक पात्र तथा कमरे की वास्तविक स्थिति का माप दिया जाएगा। उपरोक्त जानकारी प्रारुप एम.बी. – **"2"** में प्रस्तुत करेगा।

(ग) प्रस्तावित स्थल सामान्य प्रयुक्ति के नियमों के तहत आपत्तिरहित स्थल हो।

(घ) **(एक)** आवेदन स्वीकार करने की स्थिति में आबकारी आयुक्त, आवेदक के प्रस्ताव के अनुमोदन पश्चात् इस आशय का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रारुप एम.बी.– **"3"** में जारी करेगा कि आवेदक विभिन्न विभागों की औपचारिकताओं को पूर्ण कर यदि वह सूक्ष्म यवासवनी स्थापित करता है, तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं होगी। यह अनापत्ति जारी दिनांक से छः माह तक प्रभावशील होगी।

(दो) परन्तु जहाँ आबकारी आयुक्त को यह समाधान हो जाता है कि छःमाह के भीतर अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार संनिर्माण तथा कार्य पूरा नहीं कर पाने के लिए आवेदक के पास पर्याप्त कारण है, वहाँ वह ऐसे कारणों को अभिलेखित करते हुए, छःमाह की उक्त कालावधि को ऐसी और कालावधि या कालावधियों के लिए जैसा वह उचित समझे, जो कुल मिलाकर 09 माह से अधिक नहीं होगी, को बढ़ाने के लिये अनुमति दे सकेगा। तत्पश्चात् उक्त अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

(2) **लाइसेंस मंजूर करने से पूर्व परिसर का निरीक्षण–** सूक्ष्म यवासवनी के निर्माण पश्चात् आवेदक की सूचना पर क्राफ्ट बीयर बनाने के लिए लाइसेंस स्वीकृति के पूर्व जिले का प्रभारी आबकारी अधिकारी परिसर आदि का निरीक्षण करेगा और नक्शे तथा उपयुक्त प्रविष्टि से मिलान करेगा और उसे तद्नुसार प्रमाणित कर जिले के कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा।

(3) **लाइसेंस स्वीकृत करने के लिये शर्तें** – लाइसेंस निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान किया जायेगा –

(क) आवेदक ने आबकारी आयुक्त को यह समाधान कर दिया हो कि संयंत्र की क्राफ्ट बीयर की दैनिक उत्पादन क्षमता अधिकतम 1000 लीटर की हो या आवेदित मात्रा के अनुरूप हो।

(ख) आवेदक ने आबकारी आयुक्त को यह समाधान कर दिया हो कि क्राफ्ट बीयर बनाने, संग्रह करने तथा उसका निर्गम करने के कारोबार के संबंध में उपयोग में लाए जाने के लिए प्रस्तावित भवन, पात्र, संयंत्र और साधित्रों को इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार बनाया गया है और यह कि आग से बचाव के लिए यथोचित सावधानी बरती गई है।

(ग) आवेदक के द्वारा उनके लाइसेंस की सभी शर्तों को पूरा करने के लिए शासकीय वचन पत्रों या समान बाजार मूल्य की अन्य शासकीय प्रतिभूतियों के रुप में रुपये 6,25,000/– (रुपये छः लाख पच्चीस हजार) जमानत के रुप में जमा किया गया है वचन पत्र या अन्य प्रतिभूतियाँ, उनके जमा किए जाने पर आबकारी आयुक्त को उसके पदनाम से पृष्ठांकित की जाएगी।

(4) लाइसेंस स्वीकृत या अस्वीकृत करने की शक्ति –

(क) आबकारी अधिनियम 1915 एवं इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए आबकारी आयुक्त को राज्य में वास्तविक आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए लाइसेंस दिये जाने के लिए या लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए प्रस्तुत किए गए किसी भी आवेदन पत्र को स्वीकृत या अस्वीकृत करने की शक्ति होगी।

(ख) अस्वीकृत करने या उसे नवीकृत करने के संबंध में आबकारी आयुक्त द्वारा दिए गये किसी भी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर पुनरीक्षण हेतु राज्य शासन को आवेदन कर सकेगा और शासन उस मामले में ऐसा आदेश दे सकेगा, जो उचित समझे।

(5) सूक्ष्म यवासवनी चलाने के लिए लाइसेंस का प्रारूप और निर्धारित लाइसेंस फीस –

(क) आबकारी आयुक्त द्वारा सूक्ष्म यवासवनी तथा उसके संलग्न परिसर में उपभोग हेतु प्रारूप एम.बी.–**"4"** में लायसेंस स्वीकृत किया जावेगा। लायसेंस स्वीकृति के उपरांत आबकारी आयुक्त की पूर्व अनुमति के बिना विनिर्माण इकाई के भवनों, संयंत्रों और मशीनरी में कोई परिवर्तन अथवा परिवर्धन नहीं किया जावेगा, बशर्ते कि लघु परिवर्तन या लघु परिवर्धन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आबकारी आयुक्त को प्रज्ञापना देने के उपरांत किया जा सकेगा।

(ख) अनुज्ञप्तिधारी को प्रत्येक आबकारी वर्ष या उसके किसी भाग के लिए लायसेंस फीस रुपये 25,00,000/– (रूपये पच्चीस लाख) प्रतिवर्ष तथा प्रतिभूति धनराशि जो निर्धारित वार्षिक लायसेंस फीस के 25 प्रतिशत के समतुल्य राशि होगी, उसे लायसेंस स्वीकृति के पूर्व जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

(ग) सूक्ष्म यवासवक किसी भी स्थिति में अपने अनुज्ञप्ति परिसर की निर्धारित सीमा से बाहर क्राफ्ट बीयर का विक्रय नही कर सकेगा।

(6) जमानत की जमा रकम की जब्ती और उसमें से कटौती – तत्समय प्रवृत आबकारी विधियों का उल्लंघन करने की स्थिति में यदि वह उल्लंघन आबकारी विभाग के किसी अधिकारी के समक्ष, जो जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी के पदश्रेणी से अनिम्न पदश्रेणी का न हो, सिद्ध कर दिया जाए जो जमानत की जमा रकम संपूर्ण राशि या उसका कोई भाग, जो कि राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया जाए सूक्ष्म यवासवनी लाइसेंस सहित जब्त कर लिया जाएगा। आबकारी आयुक्त उस जमा रकम में ऐसी सभी रकमों, जो शुल्क, लाइसेंस फीस, शास्ति या जुर्माने के रुप में शासन को शोध्य हो गई हों, कटौती करने का भी निर्देश दे सकेगा।

(7) लाइसेंस का नवीकरण – आगामी आबकारी वर्ष के लिए लाइसेंस के नवीकरण हेतु प्रारूप एम.बी.–1 में आवेदन पत्र प्रतिवर्ष 15 फरवरी को या उससे पहले कलेक्टर के माध्यम से आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत किया जाएगा। जिस पर आवश्यक जाँच उपरांत आबकारी आयुक्त द्वारा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

(8) **अनवीकृत लाइसेंस को टाला जाएगा** – अनवीकृत लाइसेंस वैध लाइसेंस नही होगें और लाइसेंस के समाप्त होने के बाद सूक्ष्म यवासवनी में बनाई क्राफ्ट बीयर जब्त और राजसात की जा सकेगी और सूक्ष्म यवासवनी के कार्यकारी पक्ष अवैध रुप से क्राफ्ट बीयर बनाने के लिए विधि द्वारा उपबंधित शास्तियों के दायित्वाधीन होगे।

(9) **लाइसेंस के समाप्त होने के पश्चात् क्राफ्ट बीयर का निराकरण** – अनुज्ञप्तिधारी के लाइसेंस या नवीकृत लाइसेंस की अवधि के समाप्त हो जाने पर (जब तक उसे नया लाइसेंस स्वीकृत न किया गया हो), यदि उसका लाइसेंस रद्द या निलंबित कर दिया जाए तो यवासवक की सूक्ष्म यवासवनी में रखी सम्पूर्ण क्राफ्ट बीयर का निराकरण उस विधि से किया जायेगा, जो आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा विहित किया जावे।

(10) **शासन सूक्ष्म यवासवनी में क्राफ्ट बीयर की हानि आदि के लिए दायी नही होगा** – शासन सूक्ष्म यवासवनी में संग्रहित क्राफ्ट बीयर के आग से नष्ट होने या चोरी होने से हानि या नुकसान पहुॅचने या मापने या किसी भी अन्य कारण से हुई हानि के लिए दायी नही होगा। आग लगने या दुर्घटना के मामले में सूक्ष्म यवासवनी का प्रभारी आबकारी अधिकारी दिन या रात को किसी भी समय परिसर को खोलने के लिए तुरन्त उपस्थित होगा।

(11) **यवासवक के एजेन्टों और अन्य सेवकों की नियुक्ति** – आसवनियों में आसवक के एजेन्टों और अन्य सेवकों की नियुक्ति को शासित करने वाले नियम, आवश्यक परिवर्तनों सहित यवासवनियों के एजेन्टों और अन्य सेवकों की नियुक्ति के संबंध में लागू होगे।

(12) **सूक्ष्म यवासवनी के अनुज्ञप्ति परिसर से संलग्न रेस्टोरेंट के खुलने का समय** – सूक्ष्म यवासवनी के अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यवासवनी के अनुज्ञप्ति परिसर से संलग्न रेस्टोरेंट का संचालन राज्य शासन द्वारा बार/क्लब अनुज्ञप्तियों के खोलने एवं बंद होने हेतु निर्धारित समय के अनुरूप ही किया जावेगा अर्थात् उपरोक्त प्रावधान केवल रेस्टोरेंट के संचालन पर लागू होगा तथा सूक्ष्म यवासवनी में क्राफ्ट बीयर का उत्पादन अनवरत् जारी रख सकेगा।

(13) **सूक्ष्म यवासवनी में निर्मित क्राफ्ट बीयर का अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विक्रय**– अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सूक्ष्म यवासवनी में निर्मित क्राफ्ट बीयर का अनुज्ञप्त परिसर से संलग्न रेस्टोरेंट में ही ग्राहकों के उपभोग हेतु केवल लूज में विक्रय किया जाना अनिवार्य होगा। परन्तु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी भी स्थिति में निर्मित क्राफ्ट बीयर को बॉटल, केन, पाउच या केग में पैंकिग कर विक्रय नहीं किया जावेगा।

(14) सूक्ष्म यवासवनी एवं उससे संलग्न रेस्टोरेंट के अनुज्ञप्त परिसर का सम्मिलित रूप से क्षेत्रफल न्यूनतम 6000 वर्गफीट (कारपेट एरिया) का होना चाहिए।

(15) आवेदक द्वारा केन्द्रीय सरकार, स्थानीय निकाय, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, प्रदूषण नियंत्रण मण्डल और राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमित या नियमों के अधीन अपेक्षित अन्य कोई प्रमाण पत्र अथवा प्राधिकार पत्र या निर्बन्धन पत्र (जो भी आवश्यक हो) जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

4. सूक्ष्म यवासवनियों की सामान्य व्यवस्था और प्रबंध –

(1) **प्रत्येक कमरे, स्थान और पात्र पर पहचान चिन्ह अंकित किए जाएंगे** – प्रत्येक कमरे के दरवाजे के बाहर की ओर तथा उस स्थान पर, जहाँ कारोबार चलाया जाता हो, और प्रत्येक पात्र के सहजगोचर भाग पर जिस प्रयोजन के लिये उसका उपयोग किया जाना अपेक्षित हो, उसके अनुसार पात्र बर्तन, कमरे या स्थान का नाम तैल रंग से सुवाच्य अक्षरों में अंकित किया जाएगा। यदि एक ही प्रयोजन के लिए एक से अधिक कमरों या पात्रों का उपयोग किया जाए, तो प्रत्येक पर प्रगामी क्रमांक लिखकर उससे विभेद किया जाएगा। सूक्ष्म यवासवनी में कुण्डों, बर्तनों, पात्रों आदि का रजिस्टर निर्धारित प्रारूप एम.बी.–5 में संधारित किया जावेगा।

(2) **पात्रों को लगाकर रखने की रीति** – मैशटनों, संग्रहण पात्रों (अंडर बैंक) अनाज घोल पात्रों, ताम्रपात्रों और संग्रह करने तथा खमीर उठाने के पात्रों को इस प्रकार रखा तथा जमाया जाएगा कि प्रत्येक पात्र में रखे पदार्थों को ठीक से मापा या नापा जा सके।

(3) **सभी मैशटनों तथा अन्य पात्रों को मापा जाएगा** – सभी मैशटनों और खमीर पात्रों को प्रभारी आबकारी अधिकारी और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा साथ–साथ मापा जाएगा। सूक्ष्म यवासवनी के प्रभारी आबकारी अधिकारी द्वारा मापन सारणियों का रजिस्टर निर्धारित प्रारूप एम.बी.–6 में संधारित किया जावेगा। जिसमें प्रत्येक पात्र की कुल धारिता बल्क लीटर में और गहराई एक पंचमांश सेन्टीमीटर में दर्शाई जाएगी।

(4) **मैशटन आदि इस प्रकार रखे जाएंगे कि माप किया जा सके तथा किए गए परिवर्तनों की सूचना सूक्ष्म यवासवनी के प्रभारी आबकारी अधिकारी को दी जाएगी** – सभी मैशटनों, संग्रहण (अण्डर बैंक) कूलरों, खमीर पात्रों और निलय पात्रों को इस प्रकार रखा जाएगा तथा जमाया जाएगा, कि उनके अन्दर की अन्तर्वस्तुओं को ठीक से माप कर या नाप कर सुनिश्चित किया जा सके और सूक्ष्म यवासवनी के प्रभारी आबकारी अधिकारी को लिखित में दो दिन की सूचना दिए बिना उनके आकार, स्थिति या धारिता में कोई परिवर्तन नही किया जाएगा।

(5) **मैशटनों आदि की स्थापना में परिवर्तन करने के बाद उनकी पुनः माप करना आवश्यक है** – ऐसे किसी पात्र का जिसके आकार, स्थिति या धारिता में परिवर्तन किया गया हो, तब तक फिर से उपयोग नही किया जाएगा जब तक कि सूक्ष्म

यवासवनी के प्रभारी अधिकारी द्वारा उसकी पुनः माप न की जाए और यदि आवश्यक हो तो उसके द्वारा नई सारणियां तैयार की जाएंगी।

(6) **सूक्ष्म यवासवक, बांट, तराजू और अन्य उपकरणों की व्यवस्था करेगा** – सूक्ष्म यवासवक को अच्छे तराजुओं और सही भार के बांटो और अन्य आवश्यक और समुचित आधुनिक उपकरणों की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था करनी चाहिए और उन्हें ठीक चालू रखना चाहिए जिससे कि सूक्ष्म यवासवनी के प्रभारी अधिकारी तथा अन्य आबकारी अधिकारी क्राफ्ट बीयर बनाने की प्रक्रिया में बने सभी पदार्थों और तरलों का वजन लेकर नापकर या मापकर हिसाब लगा सके और जांच कर सके।

(7) सूक्ष्म यवासवक को ऐसे समस्त स्थानों पर फ्लो मीटर (Flow Meter) लगाना अनिवार्य होगा जैसा कि आबकारी आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किया जावे।

5. सूक्ष्म यवासवनियों पर नियंत्रण –

(1) **जिले का कलेक्टर सूक्ष्म यवासवनी का प्रभारी अधिकारी नियुक्त करेगा** – जिले के कलेक्टर द्वारा प्रत्येक सूक्ष्म यवासवनी (माइक्रो–बूअरी) को जिले के आबकारी विभाग के किसी ऐसे पदाधिकारी जो आबकारी उपनिरीक्षक की पदश्रेणी से अनिम्न पदश्रेणी का न हो, के भारसाधन में रखी जाएगी जिसे सूक्ष्म यवासवनी के भारसाधक अधिकारी के रुप में पदाभिहित किया जाएगा।

(2) **नियंत्रण** – सूक्ष्म यवासवनी का प्रभारी अधिकारी जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा।

(3) **सूक्ष्म यवासवनी में नियुक्त प्रभारी आबकारी अधिकारी के विशेष कर्तव्य** – सूक्ष्म यवासवनी के प्रभारी अधिकारी का यह विशेष कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि –

(क) सूक्ष्म यवासवक का विहित प्रारूप एम.बी.– 1 में लाइसेंस समय पर नवीकृत किया गया है।

(ख) सूक्ष्म यवासवक विहित प्रारूप एम.बी.–2 में अपने परिसर और पात्रों की प्रविष्टि करता है।

(ग) सूक्ष्म यवासवनी का पात्र और कमरे उचित रुप से क्रमांकित और चिन्हांकित है।

(घ) सूक्ष्म यवासवक द्वारा यवासवक पुस्तक जो निर्धारित प्रारूप एम.बी.–15 में संधारित की जाएगी, उसमें प्रविष्टियां तत्काल और सही रुप में की जाती है।

(ङ) सूक्ष्म यवासवक द्वारा यवासवक पुस्तक में दर्ज की गई सामग्री के अतिरिक्त अन्य सामग्रियों का उपयोग नही किया जाता है।

(च) सूक्ष्म यवासवनी में कोई भी अनाज का घोल तब तक नही हटाया जाता जब तक कि उनका हिसाब नही लिख जाता है और,

(छ) सूक्ष्म यवासवनियों के प्रबंध के लिए निहित नियमों का सर्वथा पालन किया जाता है।

(ज) सूक्ष्म यवासवनी के अनुज्ञप्ति परिसर से संलग्न रेस्टोरेंट का नियमानुसार संचालन किया जा रहा है।

(4) **प्रदाय किए जाने वाले उपकरण** – सूक्ष्म यवासवनी का प्रभारी अधिकारी शर्करा मापक (सेक्रो–मीटर) और थर्मामीटर जैस आवश्यक उपकरणों का मांग–पत्र जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी के माध्यम से आबकारी आयुक्त को भेजेगा और स्टॉक पंजी में उनका लेखा रखेगा। वह उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा और यदि उचित सावधानी न रखने के कारण कोई उपकरण टूट जाए या खो जाए तो उसे ऐसे नुकसान या हानि की पूर्ति करनी होगी।

(5) **यवासवनी अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रहेगी** – यवासवक किसी भी समय कलेक्टर, जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी या आबकारी विभाग के किसी अन्य अधिकारी को, जो पदश्रेणी में आबकारी उप निरीक्षक से अनिम्न पदश्रेणी का न हो तथा जिसके अधिकार क्षेत्र में यवासवनी स्थित हो, अपने सूक्ष्म यवासवनी परिसर, उसे संबंधित पात्र, कोई भी कमरा, स्थान या पात्र और वही बनाई गई या संग्रहित क्राफ्ट बीयर का निरीक्षण और जांच करने देगा और ऐसा निरीक्षण और जांच करने में निरीक्षण पदाधिकारी की उचित सहायता करेगा।

(6) **विषैले पदार्थों का प्रयोग निषिद्ध है** – आबकारी आयुक्त क्राफ्ट बीयर के निर्माण में किसी भी ऐसे पदार्थ का उपयोग किए जाने का निषेध कर सकेगा जो उसके मतानुसार विषैले प्रकार का हो।

(7) **नमूना लेना तथा उनका विश्लेषण** – सूक्ष्म यवासवनी का प्रभारी आबकारी अधिकारी या कोई भी निरीक्षणकर्ता आबकारी अधिकारी विश्लेषण करने के प्रयोजन से मूल्य चुकाए बिना किसी क्राफ्ट बीयर या उसके निर्माण में उपयोग में लाई गई सामग्री का नमूना ले सकेगा, उपरोक्त लिए गए सभी नमूने प्रभारी पदाधिकारी द्वारा विहित रजिस्टर में अभिलिखित किए जाएंगे और राज्य शासन द्वारा अनुमोदित रासायनिक परीक्षक को ऐसे पत्र सहित उचित माध्यम से प्रेषित किये जायेंगे, जिसमें कौन सी जांच या विश्लेषण किया जाना है यह बतलाया गया होगा।

विश्लेषण के लिये उपयोग में लाई गई क्राफ्ट बीयर की मात्रा दर्शाने वाला रजिस्टर निर्धारित प्रारूप एम.बी.–7 एवं जौ, अनाज के घोल, अनाज के शीरे आदि के नमूनों जो विश्लेषण करने के लिये निकाले गए हों, का रजिस्टर निर्धारित प्रारूप एम.बी.–8 में संधारित किया जायेगा।

(8) **गुणवता नियंत्रण–**

(क) सूक्ष्म यवासवनी में क्राफ्ट बीयर के विनिर्माण में प्रयुक्त समस्त कच्चे माल आबकारी आयुक्त द्वारा यथाविहित या अनुमोदित मानक एवं गुणवत्ता के अनुसार होंगे। इसके अतिरिक्त इस संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 (यथासंशोधित) एवं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का भी पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

(ख) क्राफ्ट बीयर का भाण्डारण करने, सम्मिश्रण करने, न्यूनीकरण करने, परिपक्व करने तथा सम्मिश्रण करने के सभी पात्र स्वच्छ रखे जायेंगे। उपभोग में लाया गया पानी शुद्ध और पीने योग्य होगा, भाण्डारित क्राफ्ट बीयर में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कोई भी संघटक उपयोग में नहीं लाया जायेगा अथवा मिलाया नहीं जायेगा। क्राफ्ट बीयर के सम्मिश्रण के समय उसको रंगने, सुरस, सुंगंधित एवं सुरभित करने के कारण आदि अच्छी गुणवत्ता के मानक उपभोग के योग्य होंगे तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होंगे।

(ग) अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्त परिसर में अपनी निजी प्रयोगशाला स्थापित करेगा, ऐसी प्रयोगशाला उपकरणों से सुसज्जित होगी, जिसमें अर्हता प्राप्त तकनीकी व्यक्ति होंगे तथा इस पर उपगत व्यय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन किया जावेगा। क्राफ्ट बीयर को उपभोक्ता को उपभोग के लिये उपलब्ध कराए जाने से पूर्व प्रत्येक बैच के नमूने का प्रयोगशाला में परीक्षण किया जायेगा। जब नमूने की क्राफ्ट बीयर मानव उपभोग के लिये उपयुक्त पाई जाए तभी बैच जारी करने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे प्रत्येक रासायनिक परीक्षण की रिपोर्ट की एक अभिप्रमाणित छायाप्रति सूक्ष्म यवासवनी के भारसाधक अधिकारी को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

(9) **यवासन के उत्पादों का मिश्रण**– सूक्ष्म यवासवक किसी भी यवासवन उत्पाद को अन्य यवासवन के उत्पाद से तब तक नही मिलाएगा जब तक कि सूक्ष्म यवासवनी के प्रभारी आबकारी अधिकारी द्वारा प्रत्येक का हिसाब (भार तथा घनत्व के संबंध में) न ले लिया जाए।

(10) **अवशिष्ट मे स्पिरिट निकालने का निषेध** – सूक्ष्म यवासवनी के परिसर में क्राफ्ट बीयर को छोड़कर कोई अन्य शराब नही बनाई जाएगी। सूक्ष्म यवासवनी के अनाज या अवशिष्ट माल से स्प्रिट निकालने का कोई प्रयास नही किया जाएगा।

(11) **क्राफ्ट बीयर में शुद्धकारी पदार्थों को छोड़कर अन्य पदार्थ मिलाने का निषेध** – सूक्ष्म यवासवक क्राफ्ट बीयर में शुद्धकारी पदार्थों या आबकारी आयुक्त द्वारा मंजूर किए गए पदार्थों को छोड़कर कोई भी पदार्थ न तो घोलेगा, न अपमिश्रित करेगा और न मिलाएगा। क्राफ्ट बीयर के विनिर्माण में उपयोग किये गये वासक (फ्लेवरिंग) पदार्थों का लेखा दर्शाने वाला रजिस्टर निर्धारित प्रारूप एम.बी.–9 में संधारित किया जायेगा।

(12) **सूक्ष्म यवासवक द्वारा अग्रिम जमा रकम से शुल्क का भुगतान** –

(क) सूक्ष्म यवासवक को वर्ष में अधिकतम 3 लाख 65 हजार बल्क लीटर क्राफ्ट बीयर के निर्माण की अनुमति होगी। इस हेतु राज्य शासन द्वारा बीयर (विदेशी मदिरा माल्ट) पर निर्धारित न्यूनतम ड्यूटी दर (सेना तथा अर्द्धसैनिक बलों/उनके संस्थाओं/क्लबों के लिये निर्धारित न्यूनतम ड्यूटी राशि को छोड़कर) को आधार मानते हुये एक माह में क्राफ्ट बीयर के अनुज्ञप्त उत्पादन को दृष्टिगत् रखते हुये समतुल्य ड्यूटी राशि परिगणित कर, मासिक आधार पर अग्रिम रूप में प्रतिमास के प्रांरभ होने के पूर्व ही जमा किया जाना अनिवार्य होगा, जिसका दैनिक लेखा–जोखा सूक्ष्म यवासवक को रखना होगा, जिसका सत्यापन प्रभारी आबकारी अधिकारी द्वारा साप्ताहिक आधार पर किया जावेगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा क्राफ्ट बीयर पर शुल्क का भुगतान करने के लिये आवेदन–पत्र निर्धारित प्रारूप एम.बी.–10 में प्रस्तुत किया जावेगा।

(ख) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अग्रिम रूप से जमा की गयी ड्यूटी राशि में से उसके द्वारा माह में क्राफ्ट बीयर की वास्तविक उत्पादन के आधार पर देय ड्यूटी राशि का समायोजन कर शेष राशि आगामी माह के लिये अग्रेषित (Carry Forward) कर दी जाएगी। पुनः आगामी माह के लिये अग्रिम ड्यूटी राशि नियमानुसार जमा किया जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्तानुसार लेखा दर्शाने वाला रजिस्टर निर्धारित प्रारूप एम.बी.–10 A में संधारित किया जायेगा।

(13) सूक्ष्म यवासवक को अन्य समस्त प्रकार के कर आदि का (जो भी तत्समय प्रभावी हो) पृथकतः भुगतान करना होगा जो राज्य शासन या केन्द्र शासन द्वारा अधिरोपित किए जावें।

(14) **सूक्ष्म यवासवनी में तैयार बीयर के बैच को तत्काल संग्रहण कुण्ड में स्थानांतरित किया जाना** – सूक्ष्म यवासवनी में तैयार बीयर के बैच को तत्काल संग्रहण कुण्ड में स्थानांतरित कर उक्त कुण्ड से यवासवनी परिसर से संलग्न रेस्टोरेंट में उपभोक्ताओं को उपभोग हेतु पाईपलाईन के माध्यम से आपूर्ति किया जावेगा। स्थानांतरित बीयर को किण्वन कुण्ड एवं संग्रहण कुण्ड के मध्य स्थापित फ्लो–मीटर के माध्यम से नापा जाना होगा, जिसका सत्यापन कुण्डों में स्थापित गेजों के माध्यम से किया जाना होगा। फ्लो–मीटर, की रीडिंग को इस हेतु निर्धारित पंजी में प्रविष्टी किया जाना अनिवार्य होगा तथा सक्षम प्राधिकारी के मांगे जाने पर पंजी को निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जावेगा। इससे संबंधित समस्त विवरणों हेतु रजिस्टर निर्धारित प्रारूप एम.बी.–11, प्रारूप एम.बी.–12, प्रारूप एम.बी.–13 एवं प्रारूप एम.बी.–14 में संधारित किये जायेंगे।

(15) **भण्डारण की जाँच** –

(क) प्रभारी आबकारी अधिकारी द्वारा सूक्ष्म यवासवनी के लेखाओं एवं परिसर में रखी हुई कुल बीयर की मात्रा का त्रैमासिक आधार पर न्यूनतम एक बार जाँच की जाएगी। यदि ऐसी जाँच में भण्डार से पाई गई बीयर की मात्रा लेखे में दर्शाई गई मात्रा से अधिक पाई जाए तो सूक्ष्म यवासवक किसी अधिक बीयर पर, सामान्य निकासी के लिए विहित दर से दुगुनी दर पर शुल्क का भुगतान करने के दायित्वाधीन होगा। यदि मात्रा भण्डार लेखा में दर्शाई गई मात्रा से कम पाई जाए तो कमी के कारणों की पूछताछ की जाएगी और परिणाम अनुज्ञापन प्राधिकारी को सूचित किया जाएगा, जो ऐसी कमी पर अधिक से अधिक जुर्माना लगा सकेगा जो उतनी मात्रा पर शुल्क की दर से दुगुना हो। परंतु यह कि ऐसी कमी पर जो 02 प्रतिशत से अधिक न हो, विचार नही किया जाएगा, जो कि उद्वाधन, मैल, बह निकलने और सूक्ष्म यवासवनी के भीतर होने वाली अन्य आकस्मिक घटनाओं के कारण कुल मात्रा में हुई हानि के रुप में मानी जाएगी। इस मात्रा की गणना अंतिम बार भण्डार की जाँच करने की तारीख को मालूम हुई पास की वास्तविक शेष मात्रा और निर्माण तथा निर्गत पंजी प्रारूप एम.बी.–11 के कॉलम 2 और 3 में दर्शाये अनुसार उस तारीख के बाद निर्मित या प्राप्त हुई कुल मात्रा के आधार पर की जाएगी।

(ख) सूक्ष्म यवासवनी का प्रभारी अधिकारी किसी भी समय निरीक्षण कर सकेगा। किन्तु सप्ताह में न्यूनतम 01 बार निरीक्षण अवश्य करेगा।

(16) **सूक्ष्म यवासवनी के प्रभारी आबकारी अधिकारी और सूक्ष्म यवासवक द्वारा संधारित किये जाने वाले रजिस्टर** – सूक्ष्म यवासवनी में निम्नांकित रजिस्टर संधारित किये जायेगें –

(क) प्रभारी अधिकारी द्वारा –

(एक) विश्लेषण हेतु लिये गये जौ के घोलों और अनाज के घोलों (बर्ट) के नमूनों की प्रारूप एम.बी.–8 में रजिस्टर।

(दो) माप सारणियों का रजिस्टर प्रारूप एम.बी.–6 (प्रति कुण्डवार)

(तीन) शुल्क की जमा रकम के आधार पर बीयर की निकासी की प्रारूप एम.बी. –10 रजिस्टर प्रारूप एम.बी.–10 A रजिस्टर।

(चार) क्राफ्ट बीयर के निर्माण, निकासी एवं रेस्टोरेंट में उसके उपभोग (विक्रित) का प्रारूप एम.बी.–11 में रजिस्टर।

(पांच) सूक्ष्म यवासवनी में क्राफ्ट बीयर के निर्माण के लिये की जाने वाली संक्रियाओं का प्रारूप एम.बी.–12 में रजिस्टर।

(ख) सूक्ष्म यवासवक द्वारा –

(एक) प्रारूप एम.बी.–2 में रजिस्टर जिसमें परिसर तथा पात्रों से संबंधित ब्यौरेवार प्रविष्टि दर्शाई जाएगी।

(दो) प्रारूप एम.बी.–15 में यवासवन पुस्तक।

(तीन) उक्त समस्त प्रयोजनों के लिए अनुज्ञप्तिधारी निरीक्षण पुस्तिका का संधारण करेगा, जिसे मांग किये जाने पर जांचकर्ता अधिकारी को उपलब्ध करायेगा।

(ग) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यवासवनी एवं उससे संलग्न रेस्टोरेंट में संधारित की जाने वाली समस्त पंजियों का आबकारी आयुक्त द्वारा विहित प्रारूप में स्वयं के व्यय पर मुद्रण कराया जाकर प्रमाणीकरण हेतु अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। तत्पश्चात् समस्त पंजियों की एक प्रति आबकारी कार्यालय में सुरक्षित रखे जाने हेतु जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

(17) **सूक्ष्म यवासवनी के मासिक एवं वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना** – सूक्ष्म यवासवक प्रत्येक मास एवं आबकारी वर्ष के संबंध में अपनी सूक्ष्म यवासवनी से संबंधित विवरण निर्धारित प्रारूप एम.बी. (14) में दो प्रतियों में सूक्ष्म यवासवनी के प्रभारी अधिकारी के माध्यम जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी को माह समाप्ति के 05 दिवस एवं वार्षिक 5 अप्रैल तक प्रस्तुत करेगा।

(18) **बीयर** का **संग्रहण एवं मापन** –

(क) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बीयर संग्रहित किये जाने वाले संग्रहित टैंक पात्र (Storage Tanks) को क्रमांक नं. दिया जाकर धारण क्षमता का उल्लेख किया जावेगा। इसे हमेशा अच्छी स्थिति में साफ–सुथरा रखा जावेगा।

(ख) बीयर संग्रहण हेतु स्थापित समस्त टैंक/पात्र का मापन (गेजिंग) आबकारी आयुक्त द्वारा विहित प्रक्रिया अनुसार किया जावेगा।

(19) अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्त परिसर में प्रदर्शन (Display) करेगा तथा अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति से संबंधित विवरण साईन बोर्ड के माध्यम से प्रदर्शित भी करेगा।

(20) अनुज्ञप्तिधारी अपने लायसेंस का अभ्यर्पण अनुज्ञापन प्राधिकारी को कम से कम एक माह की लिखित सूचना देकर कर सकता है। ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा आवश्यक जांच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(21) **शास्तियां (Penalties)** –

(क) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इन नियमों के किसी नियम अथवा स्वीकृत की गई किसी अनुज्ञप्ति के शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 एवं उनके अंतर्गत निर्मित नियमों के अंतर्गत शास्ति/संधान शुल्क आरोपित की जावेगी।

(ख) अनुज्ञापन प्राधिकारी इन नियमों के किसी नियम या अधिनियम के किसी उपबंध या अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी अन्य नियम या आबकारी आयुक्त/जिले के कलेक्टर द्वारा जारी किये गये किसी आदेश का उल्लंघन होने पर, अधिनियम अधीन अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द कर सकेगें।

(ग) अनुज्ञप्तिधारी इस नियम या अनुज्ञप्ति की किसी भी शर्त का प्रथम बार उल्लघंन किये जाने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा आरोपित न्यूनतम रूपये 10,000/– एवं अधिकतम रूपये 50,000/– शास्ति/संधान शुल्क के लिये दायी होगा। जबकि नियमों के उल्लघंन की पुनरावृत्ति होने पर न्यूनतम रूपये 20,000/– एवं अधिकतम रूपये 1,00,000/– शास्ति/संधान शुल्क के लिये दायी होगा।

(22) **प्रतिभूति (Guarantee)** – इस नियम के अंतर्गत दिये जाने वाली अनुज्ञप्ति का प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति की शर्तों के सम्यक पालन के लिए निर्धारित अनुज्ञप्ति फीस के 25 प्रतिशत के समतुल्य राशि नगद प्रतिभूति या बैंक प्रतिभूति (गारंटी) देगा। उस दशा में जब किसी अनुज्ञप्तिधारी पर अनुज्ञप्ति की किसी शर्त के व्यतिक्रम के कारण कोई शास्ति अधिरोपित की जाती है, तब इस प्रकार अधिरोपित शास्ति का उसके द्वारा तत्काल संदाय किया जायेगा और व्यतिक्रम की दशा में शास्ति की रकम यथा पूर्वोक्त नगद प्रतिभूति या बैंक प्रतिभूति से वसूल कर ली जायेगी। ऐसी स्थिति में बैंक प्रतिभूति या नगद प्रतिभूति को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 7 दिवस के भीतर उस सीमा तक जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

6. **अपशिष्ट पदार्थों (Waste Material) का निराकरण** – अनुज्ञप्तिधारी सूक्ष्म यवासवनी के अनुज्ञप्त परिसर में क्राफ्ट बीयर के निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाले अवशिष्ट तरल

पदार्थ (Effluent) एवं सभी अन्य अपशिष्ट पदार्थो (Waste Material) का नियमानुसार निराकरण उस विधि से करेगा, जो छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड द्वारा विहित की जाए तथा इस संबंध में सक्षम कार्यालय/प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

7. **कठिनाईयों के निराकरण (Removal of Difficulties)** – छत्तीसगढ़ सूक्ष्म यवासवनी नियम – 2025 के किसी भी नियम की व्याख्या या आवेदन की जानकारी या किसी भी व्यवस्था के संबंध में यदि कोई विवाद या संशय हो तो आबकारी आयुक्त द्वारा लिया गया निर्णय/निर्देश इस बाबत अंतिम होगा।

8. **विविध –**

(क) छत्तीगसढ़ सरकार एवं भारत सरकार के अधिनियमों, नियमों, विनियमों तथा आदेशों के अधीन अपेक्षित अन्य कोई अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा प्राप्त करने का उत्तरदायित्व पूर्णतः अनुज्ञप्तिधारी का होगा।

(ख) अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति के चालू रहने के दौरान केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 व उसके अधीन निर्मित नियमों तथा आबकारी आयुक्त के द्वारा समय–समय पर जारी समस्त आदेशों/निर्देशों से आबद्ध होगा।

9. **निरसन** – इन नियमों के तदस्थानी समस्त नियम जो उनके प्रारंभ से तत्काल पूर्व प्रवृत हो, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में एतद् द्वारा, निरस्त किये जाते है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

प्रारूप– एम.बी.–1
(नियम –3(1)(क) देखिए)

पासपोर्ट साइज का स्केन किया गया फोटोग्राफ

सूक्ष्म यवासवनी स्थापना/नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र

(1) आवेदक (व्यक्ति/फर्म) का विवरण :– नाम :– .....
(फर्म/कंपनी की दशा में पार्टनरशिप डीड/अर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की प्रति सहित)
पिता/पति का नाम :– .....
लिंग (Gender) :– .....
जन्मतिथि :– .....
आयु :– .....
राष्ट्रीयता :– .....

(2) आवेदन का दिनांक :– .....

(3) पता (अ) स्थाई निवास का पता :– .....
पिनकोड :– .....
टेलीफोन नं. :– .....
मोबाईल नं. :– .....
ई.मेल.आई.डी. :– .....

(ब) पत्र व्यवहार हेतु पता :– .....
पिनकोड :– .....
टेलीफोन नं. :– .....
मोबाईल नं. :– .....
ई.मेल.आई.डी. :– .....

(4) आवेदक को सूक्ष्म यवासवनी संचालन का पूर्व अनुभव (यदि कोई है) स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें। :– .....

(5) सूक्ष्म यवासवनी स्थापना का प्रस्तावित स्थल :– .....
:– .....

(6) प्रस्तावित स्थल एवं भवन का प्लान (ब्लू प्रिंट) :– .....

(7) प्रस्तावित पूँजी निवेश (रू.लाख में) :– .....

(8) वार्षिक उत्पादन क्षमता (बल्क लीटर में) :– .....

(9) श्रमिकों की संख्या–(अ) कुशल :– .....
(ब) अकुशल :– .....

(10) विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है अथवा नही, यदि है तो उससे संबंधित विवरण संलग्न करें :– .....

(11) कच्चे माल का विवरण एवं उपलब्धि :– .....

(12) विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट :– .....

(13) निर्माण पूर्ण होने की समयावधि :– .....

(14) किसी प्रकार की बकाया न होने का प्रमाण पत्र :– .....

(15) पुलिस द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र :– .....

(16) विगत वर्ष की Registrar of Companies (R.O.C) की विवरणी की प्रति (यदि आवेदक फर्म/कंपनी हो तो) :– .....

(17) PAN की छायाप्रति :– .....

(18) संलग्न रू. 10,000/– का चालान विभाग के मुख्य शीर्ष 0039–राज्य उत्पादन शुल्क, 800–अन्य प्राप्तियाँ 0761– विविध प्राप्तियाँ :– .....

(19) अन्य :– .....

:– .....

आवेदक का हस्ताक्षर

पता :–

मोबाईल नंबर

प्रारूप– एम.बी.– 2

(नियम –3(1)(ख) देखिए)

परिसर और पात्रों के संबंध में सूक्ष्म यवासवक द्वारा की जाने वाली प्रविष्टि

मैं/हम अनुज्ञप्तिधारक सूक्ष्म यवासवक जिला.....में..... .....में स्थित मेरी/हमारी सूक्ष्म यवासवनी के कमरों, स्थान और पात्रों के संबंध में निम्नलिखित प्रविष्टि करता हूँ/करते हैं।

नाम :– .....

स्थान :– .....

तारीख :– .....

यहॉ प्रत्येक कमरे, स्थान या पात्र के पूरे ब्यौरे लिखिए

.....

.....

इसके साथ, छत्तीसगढ़ सूक्ष्म यवासवनी नियम, 2025 के नियम 3 के उपनियम (1)(ख) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार इसके साथ एक नक्शा संलग्न किया जाता है।

नाम :– .....

तारीख :– .....

मुझे तारीख .....माह .....20.....को प्राप्त हुआ।

प्रविष्टि और नक्शे की जांच की और इसमें दर्शाए गए स्थानों, कमरों और पात्रों से उनका मिलान किया और उन्हें (निम्नलिखित) बातों को छोड़) सही पाया।

यदि ब्यौरे गलत हों तो सही ब्यौरों ..... का यहां उल्लेख किया जाए।

यदि ब्यौर सही हों तो कोष्ठक में लिये गये शब्द काट दिये जाएं।

.....

.....

.....

प्रभारी आबकारी अधिकारी

तारीख :–

जांच की गई और पारित किया गया

.....

उपायुक्त आबकारी

/सहायक आयुक्त आबकारी

/जिला आबकारी अधिकारी

जिला–.....

प्रारूप– एम.बी.– 3

(नियम–3(1)(घ)(एक) देखिए)

सूक्ष्म यवासवनी के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रेषक,

आबकारी आयुक्त,
छत्तीसगढ़,
नवा रायपुर अटल नगर

प्रति,

श्री/मेसर्स.....
.....

विषय :– छत्तीसगढ़ आबकारी सूक्ष्म यवासवनी नियम–निजी क्षेत्र के निर्माण के प्रस्ताव हेतु अनापत्ति।

संदर्भः– .....

आपके संदर्भित पत्र के साथ .....पर सूक्ष्म यवासवनी के विनिर्माण एवं कार्य करने तथा दी जाने वाली अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत निम्न विवरण एवं मात्रा में बीयर के विनिर्माण के लिये प्रस्तुत प्रस्ताव का अध्ययन किया गया है तथा इस संबंध में यंत्र समूह के आयात कच्चा माल की आपूर्ति या विदेशी तकनीकी सहयोग की अनुमति के संबंध में प्रतिबद्धता के बिना, अनन्तिम रूप में प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया है कि आप नियमों में निर्धारित औपचारिकताएं के अध्यधीन पूर्ति करें।

विवरण

क्र.	अनुज्ञप्ति के अंतर्गत विनिर्मित की जाने वाली क्राफ्ट बीयर का विवरण	मात्रा	प्रति वर्ष के लिये अनुज्ञप्त विनिर्माण
1	2	3	4

2/ आपके प्रस्ताव के लिए छत्तीगसढ़ सरकार एवं भारत सरकार के अधिनियमों, नियमों, विनियमों तथा आदेशों के अधीन अपेक्षित अन्य कोई अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा प्राप्त करने का उत्तरदायित्व पूर्णतः आपका होगा।

3/ यह अनापत्ति प्रमाण पत्र सूचित किए जाने की तारीख से 06 माह की कालावधि के लिए वैध है एवं किसी भी प्रकार से आपके पक्ष में अनुज्ञप्ति प्रदान करने के संबंध में कोई अधिकार या विशेषाधिकार निश्चित नहीं करेगा तथा किसी भी समय निरस्त किए जाने का दायी है तथा ऐसी स्थिति में कोई भी प्रतिकर या नुकसान देय नहीं होगा।

आबकारी आयुक्त,
छत्तीसगढ़

प्रारूप–एम.बी.(4)

(नियम–3(5)(क) देखिए)

मूल प्रति

अनुज्ञप्ति क्रमांक सी.जी. ..... **वर्ष– .....**	**लायसेंस फीस : रूपये 25,00,000/–** चालान क्रमांक : ..... दिनांक .....

निजी परिसर में सूक्ष्म यवासवनी में क्राफ्ट बीयर बनाने एवं अनुज्ञप्त परिसर से संलग्न रेस्टोरेंट में क्राफ्ट बीयर के लूज विक्रय का लायसेंस

छत्तीसगढ़ सूक्ष्म यवासवनी नियम 2025 के नियम 3 के उप–नियम (5) के खण्ड (क) एवं (ख) के अधीन और वार्षिक लायसेंस फीस रूपये 25,00,000/– (अक्षरी रूपये पच्चीस लाख) केवल, के प्रतिफल में जिसका अग्रिम संदाय किया जा चुका है, मेसर्स .... (छत्तीसगढ़) को नीचे दी गई अनुसूची–I में वर्णित परिसर पर, जो ..... (छत्तीसगढ़) में स्थित है, को दिनांक ..... से ..... तक निजी परिसर में सूक्ष्म यवासवनी में क्राफ्ट बीयर बनाने एवं अनुज्ञप्त परिसर से संलग्न रेस्टोरेंट में क्राफ्ट बीयर के लूज विक्रय के लिए नीचे दी गई शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, यह अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जाती है :–

शर्तें

(1) अनुज्ञप्तिधारक विहित दरों के अनुसार क्राफ्ट बीयर निर्माण हेतु फीस का संदाय करेगा।

(2) अनुज्ञप्तिधारक द्वारा क्राफ्ट बीयर के निर्माण की संक्रियाए .... (छत्तीसगढ़) स्थित अनुज्ञप्त परिसर पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित नक्शे तथा रेखांक (प्लान) के अनुसार, जो कि इस अनुज्ञप्ति के साथ संलग्न है, की जाएगी।

(3) क्राफ्ट बीयर के संग्रहण कुण्ड पर चिपकाए गए बैच नंबर में समस्त सुसंगत ब्यौरे विनिर्दिष्ट किये जायेंगे।

(4) अनुज्ञप्तिधारक क्राफ्ट बीयर के निर्माण की कोई संक्रिया भारसाधक अधिकारी को सुसंगत ब्यौरों को समाविष्ट करते हुए, पहले से पूर्व प्रज्ञापना दिये बिना नहीं करेगा।

(5) विनिर्माण की प्रक्रिया में पीने योग्य जल का उपयोग किया जाएगा। संयंत्र, मशीनरी तथा परिसर को युक्तियुक्त रूप से स्वच्छ रखा जाएगा।

(6) क्राफ्ट बीयर के निर्माण की प्रक्रिया में ऐसा कोई पदार्थ उपयोग में नही लाया जाएगा, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो।

(7) किसी एक संक्रिया में विनिर्मित समस्त क्राफ्ट बीयर को तत्काल ही संग्रहण कुण्ड में स्थानांतरित किया जावेगा और उसे वही बैच क्रमांक दिया जाएगा।

(8) क्राफ्ट बीयर से भरे संग्रहण कुण्ड एक दूसरे से पृथक–पृथक व्यवस्थित रूप से रखे जाएंगे।

(9) अनुज्ञप्तिधारक अनुज्ञप्त परिसर अर्थात् यवासवन कक्ष में संग्रहण कुण्ड एवं उससे संलग्न रेस्टोरेंट में क्राफ्ट बीयर के सत्यापन एवं मुक्त आवागमन हेतु सुगम गलियारा छोड़ेगा।

(10) अनुज्ञप्तिधारक बैच नंबरवार विनिर्मित क्राफ्ट बीयर, अंतरित क्राफ्ट बीयर तथा क्राफ्ट बीयर की अतिशेष मात्रा का दिन प्रतिदिन का सही लेखा संधारित करेगा।

(11) अनुज्ञप्तिधारी इस अनुज्ञप्ति के चालू रहने के दौरान छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 व उसके अधीन निर्मित नियमों तथा राज्य शासन/आबकारी आयुक्त के द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों से आबद्ध होगा।

(12) अनुज्ञप्तिधारी सामान्य अनुज्ञप्ति शर्तों की शर्त क्रमांक 2, 8, 27, 29 तथा 32 को छोड़कर शेष समस्त शर्तो से आबद्ध है।

(13) इस अनुज्ञप्ति की किसी शर्त अथवा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के किसी उपबंध अथवा उसके अधीन बनाए गए किसी नियम अथवा आबकारी आयुक्त/कलेक्टर/जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी द्वारा जारी किए गए किसी आदेश के उल्लंघन पर यह अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निलंबित अथवा रद्द की जा सकेगी।

रायपुर
दिनांक :–

आबकारी आयुक्त,
छत्तीसगढ़

अनुसूची–1

स्थल का वर्णन	अनुज्ञप्त परिसर की सीमाऐं			
	उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
.....	.....	.....	.....	.....

रायपुर
दिनांक :–

आबकारी आयुक्त,
छत्तीसगढ़

प्रारूप– एम.बी.(5)

(नियम–4(1) देखिए)

सूक्ष्म यवासवनी में कुण्डों, बर्तनों, पात्रों आदि का रजिस्टर

स.क्र क्रमांक	कुण्डों, बर्तनों या पात्रों का विवरण	माप की गई अन्तर्वस्तु **(Content)**	कब उपयोग में लिया गया	कब उपयोग से हटाया गया	कहाँ संस्थापित किया गया	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7

अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर

फार्म– एम.बी.–(6)

(नियम–4(3) देखिए)

मापन सारणियों का रजिस्टर

गहराई	व्यास डाईमीटर					भार		क्षेत्र	
	1	2	3	4	औसत	गहराई	क्षेत्र	कुल	शुद्ध
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

अन्तर्वस्तु (Content) लीटर में	सारणीकरण					
	शुष्क मापन पद्धति द्वारा सेन्टीमीटर	लीटर	एक सेन्टीमीटर के पाँचवे भाग का क्षेत्र	तरल मापन पद्धति द्वारा सेन्टीमीटर	लीटर	एक सेन्टीमीटर के पाँचवे भाग का क्षेत्र
11	12	13	14	15	16	17

प्रारूप–एम.बी. (7)

(नियम–5(7) देखिए)

विश्लेषण के लिये उपयोग में लाई गई क्राफ्ट बीयर की मात्रा दर्शाने वाला रजिस्टर

नमूना लेने की तारीख	क्राफ्ट बीयर की किस्म	बैच क्रमांक	नमूने के रूप में ली गई मात्रा	विश्लेषण के लिये उपयोग में लाई गई मात्रा	वापस लाई गई तथा मुख्य प्रपत्र (बल्क) के साथ मिश्रित की गई मात्रा	टिप्पणी	अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8

टिप्पण – मात्रा सदैव लीटर तथा मिलीलीटर में दर्शाई जाएगी।

प्रारूप– एम.बी.– (8)
(नियम–5(7) देखिए)

जौ, अनाज के घोल, अनाज के शीरे आदि के नमूनों जो विश्लेषण करने के लिये निकाले गए हों, का रजिस्टर

क्र.	नमूने का विवरण	वह प्रयोजन जिसके लिये लिया गया	वह तारीख जब लिया गया	यदि अनाज का घोल या बीयर हो तो प्रारंभिक गुरूत्व	रसायन–परीक्षक से रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख	विश्लेषण का परिणाम
1	2	3	4	5	6	7

प्रारूप– एम.बी.– (9)

(नियम–5(11) देखिए)

क्राफ्ट बीयर के विनिर्माण में उपयोग किये गये वासक (फ्लेवरिंग) पदार्थों का लेखा दर्शाने वाला रजिस्टर

तारीख	पदार्थ का नाम	प्रारंभिक अतिशेष	प्राप्त मात्रा	कुल मात्रा
1	2	3	4	5

बीयर के विनिर्माण के लिये प्रदाय की गई मात्रा		अंतिम अतिशेष	टिप्पणियाँ	अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर
बीयर की किस्म	वासक पदार्थ			
6	7	8	9	10

प्रारूप– एम.बी.– (10)

(नियम–5(12)(क) देखिए)

क्राफ्ट बीयर पर शुल्क का भुगतान करने के लिये आवेदन–पत्र

प्रति,

उपायुक्त आबकारी
/सहायक आयुक्त आबकारी
/जिला आबकारी अधिकारी
जिला–.....

कृपया, मुझे ..... को प्राप्त सूक्ष्म यवासवनी से क्राफ्ट बीयर निर्माण हेतु प्राप्त अनुज्ञप्ति..... के द्वारा अधिकतम 3 लाख 65 हजार बल्क लीटर बीयर का उत्पादन वर्ष .....में किया जावेगा। मेरे द्वारा बीयर के प्रत्येक बल्क लीटर पर राज्य शासन द्वारा निर्धारित ड्यूटी राशि को आधार मानते हुये आगामी 01 माह में क्राफ्ट बीयर के संभावित उत्पादन को दृष्टिगत् रखते हुये समतुल्य ड्यूटी राशि को चालान के माध्यम से जमा किया जा चुका है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

क्रमांक	आगामी 01 माह में क्राफ्ट बीयर के संभावित उत्पादन की मात्रा बल्क लीटर में (माह में कुल दिवस X 1000 ली.)	प्रति बल्क लीटर की शुल्क दर	वसूल किये जाने वाले शुल्क की कुल रकम (रूपये में)	जमा किए जाने वाले शुल्क की रकम एवं चालान क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4	5

चालान की मूल प्रति संलग्न है।

टिप्पणी – यह आवेदन पत्र तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, एक प्रति आवेदन करने वाले को वापिस भेज दी जाएगी, दूसरी प्रति, यवासवनी के प्रभारी आबकारी अधिकारी को भेज दी जाएगी और तीसरी प्रति अभिलेख के लिये रख ली जाएगी।

.....
(हस्ताक्षरित)

तारीख :–
(किसके द्वारा जांच की गई)

सूक्ष्म यवासवनी का प्रभारी
आबकारी अधिकारी

प्रारूप– एम.बी.– (10) (A)

(नियम–5(12)(ख) देखिए)

क्राफ्ट बीयर पर लिये जाने वाले अग्रिम शुल्क की वसूली लेखा से संबंधित पंजी

क्र.	दिनांक	संग्रहण कुण्ड की संख्या	सूक्ष्म यवासवनी में निर्मित नो एल्कोहालिक बेवरेजेस (एन.ए.बी.) की मात्रा (ब.ली. में)	सूक्ष्म यवासवनी में निर्मित क्राफ्ट बीयर की मात्रा (ब.ली. में)	प्रति बल्क लीटर की शुल्क दर	वसूल किये जाने वाले शुल्क की कुल रकम	अग्रिम जमा रकम का प्रारंभिक शेष	माह में अग्रिम जमा रकम	कुल अग्रिम जमा रकम (कॉलम 8+9)	अग्रिम जमा रकम से विकलित किये जाने वाली शुल्क की रकम (कॉलम 7 अनुसार राशि)	अग्रिम जमा रकम से शेष जमा रकम (कॉलम 10–11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रारूप– एम.बी.– (11)

(नियम–5(14) देखिए)

सूक्ष्म यवासवनी में निर्मित तथा वहां से अनुज्ञप्त परिसर से संलग्न रेस्टोरेंट को निर्गमित एवं विक्रित और उसके भंडार में शेष बच रही बीयर का रजिस्टर

तारीख	दिन के आरंभ में क्राफ्ट बीयर की शेष मात्रा (Opening Stock) (बल्क लीटर में)	सूक्ष्म यवासवनी में निर्मित क्राफ्ट बीयर की मात्रा (बल्क लीटर में)	अनुज्ञप्त परिसर से संलग्न रेस्टोरेंट को निर्गमित एवं विक्रित क्राफ्ट बीयर की मात्रा (बल्क लीटर में)	दिन की समाप्ति पर शेष मात्रा (Closing Stock) (बल्क लीटर में)
1	2	3	4	5

प्रारूप– एम.बी.– (12)

(नियम–5(14) देखिए)

सूक्ष्म यवासवनी में क्राफ्ट बीयर के निर्माण के लिये की जाने वाली संक्रियाओं का रजिस्टर

किण्वन कुंड से प्राप्त किण्वित सामग्रियों की मात्रा			किण्वन कुंड से प्राप्त तथा प्रयुक्त की गई Brew (ब्रू) की मात्रा	
मास तथा तारीख	प्रपुंज (बल्क) लीटर में	स्ट्रेंथ	प्रपुंज (बल्क) लीटर में	स्ट्रेंथ
1	2	3	4	5

विनिर्मित क्राफ्ट बीयर की मात्रा				अन्तरित क्राफ्ट बीयर की मात्रा			
बैच क्रमांक	क्राफ्ट बीयर की किस्म/ स्ट्रेंथ	संग्रहण कुंड की क्रम संख्या	संग्रहण कुंड की अन्तर्वस्तुएँ की मात्रा (लीटर/ मि.ली. में)	बैच क्रमांक	क्राफ्ट बीयर की किस्म/ स्ट्रेंथ	संग्रहण कुंड की क्रम संख्या	संग्रहण कुंड की अन्तर्वस्तुएँ की मात्रा (लीटर/ मि.ली. में)
6	7	8	9	10	11	12	13

क्राफ्ट बीयर की अतिशेष मात्रा				हस्ताक्षर		टिप्पणियॉ
बैच क्रमांक	क्राफ्ट बीयर की किस्म/ स्ट्रेंथ	संग्रहण कुंड की क्रम संख्या	संग्रहण कुंड की अन्तर्वस्तुएँ की मात्रा (लीटर/ मि.ली. में)	अनुज्ञप्तिधारी	भारसाधक अधिकारी	
14	15	16	17	18	19	20

प्रारूप– एम.बी.– (13)

(नियम–5(14) देखिए)

सूक्ष्म यवासवनी में निर्मित क्राफ्ट बीयर का संग्रहण कुण्ड से अनुज्ञप्त परिसर में संलग्न रेस्टोरेंट को पाईप लाईन के माध्यम से संव्यवहारों का रजिस्टर

क्राफ्ट बीयर का प्रारंभिक अतिशेष (Opening Stock)					क्राफ्ट बीयर की निर्मित की गई मात्रा		
क्रं.	मास तथा दिनांक	बैच क्रमांक	संग्रहण कुण्ड की क्रम संख्या	प्रत्येक प्रकार के संग्रहण कुण्ड की अन्तर्वस्तुएँ की मात्रा (लीटर/मि.ली. में)	बैच क्रमांक	संग्रहण कुण्ड की क्रम संख्या	प्रत्येक प्रकार के संग्रहण कुण्ड की अन्तर्वस्तुएँ की मात्रा (लीटर/मि. ली. में)
1	2	3	4	5	6	7	8

संग्रहण कुण्ड में संग्रहित क्राफ्ट बीयर की कुल मात्रा			संग्रहण कुण्ड से अनुज्ञप्त परिसर में संलग्न रेस्टोरेंट को पाईप लाईन के माध्यम से प्रदाय की गई क्राफ्ट बीयर की मात्रा (लीटर/मि.ली. में)			क्राफ्ट बीयर का अंतिम अतिशेष (Closing Stock)				
						बैच क्रमांक	संग्रहण कुण्ड की क्रम संख्या	प्रत्येक प्रकार के संग्रहण कुण्ड की अन्तर्वस्तुएँ की मात्रा (लीटर/मि.ली. में)	हस्ताक्षर अनुज्ञप्तिधारी/सक्षम अधिकारी	टिप्पणियाँ
बैच क्रमांक	संग्रहण कुण्ड की क्रम संख्या	प्रत्येक प्रकार के संग्रहण कुण्ड की अन्तर्वस्तुएँ की मात्रा (लीटर/मि.ली. में)	बैच क्रमांक	संग्रहण कुण्ड की क्रम संख्या	प्रत्येक प्रकार के संग्रहण कुण्ड की अन्तर्वस्तुएँ की मात्रा (लीटर/मि.ली. में)					
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

प्रारूप– एम.बी.– (14)

(नियम–5(14) देखिए)

..... मास/वर्ष के दौरान संव्यवहारों की विवरणी

क्राफ्ट बीयर की किस्म	क्राफ्ट बीयर के प्रारंभिक अतिशेष		
	बैच क्रमांक	संग्रहण कुण्ड की क्रम संख्या	प्रत्येक प्रकार के संग्रहण कुण्ड की अन्तर्वस्तुएँ की मात्रा (लीटर/ मि.ली. में)
1	2	3	4

मास/वर्ष के दौरान क्राफ्ट बीयर की विनिर्मित की गई मात्रा			कुल स्टाक		
बैच क्रमांक	संग्रहण कुण्ड की क्रम संख्या	प्रत्येक प्रकार के संग्रहण कुण्ड की अन्तर्वस्तुएँ की मात्रा (लीटर/ मि.ली. में)	बैच क्रमांक	संग्रहण कुण्ड की क्रम संख्या	प्रत्येक प्रकार के संग्रहण कुण्ड की अन्तर्वस्तुएँ की मात्रा (लीटर/ मि.ली. में)
5	6	7	8	9	10

मास/वर्ष में प्रदाय की गई कुल मात्रा			मास/वर्ष के अंत में अंतिम शेष			
बैच क्रमांक	संग्रहण कुण्ड की क्रम संख्या	प्रत्येक प्रकार के संग्रहण कुण्ड की अन्तर्वस्तुएँ की मात्रा (लीटर/ मि.ली. में)	बैच क्रमांक	संग्रहण कुण्ड की क्रम संख्या	प्रत्येक प्रकार के संग्रहण कुण्ड की अन्तर्वस्तुएँ की मात्रा (लीटर/ मि.ली. में)	अभ्युक्तियॉ टिप्पणी
11	12	13	14	15	16	17

प्रारूप– एम.बी.– (15)
(नियम–5(16)(ख)(दो) देखिए)

यवासवन पुस्तक

प्रविष्ट कब की गई		यवासवन का क्रमांक	मसलने, जो जो घोल बनाने, शक्कर या अनाज घोलने की सूचना देने की				उपयोग में लाई जाने वाली मात्रा भीगा जौ, बिना भीगा शक्कर, हाफ, अनाज				हाफ के ऐवजी कि. ग्राम
तारीख	समय		तारीख	समय	तारीख	समय	क्विं	क्विं	क्विं	क्विं	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

वह समय जब मैशटन में अनाज से अनाज का घोल निकाला जाए		संग्रहित अनाज का घोल कब से संग्रह किया गया		पात्र			गुरूत्व	संक्षिप्त हस्ताक्षर		
तारीख	समय	तारीख	समय	संख्या	नाम	डिप		यवासक के	निरीक्षक के	कैफियत
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.